मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20 जनवरी, 2015 को अपरान्ह 12.00 बजे केन्द्र पोषित 05 विकास योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजिटाइजेशन तथा आधार लिंकेज के सम्बन्ध में सम्पन्न हुयी बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :– संलग्न

बैठक का शुभारम्भ करते हुए प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा बैठक में आये विभिन्न विभागों के प्रतिभागियों का स्वागत किया गया।

प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा अवगत कराया गया गया कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 तक केन्द्र पोषित 05 विकास योजनाओं यथा– (1) मनरेगा (2) पेन्शन योजनायें (वृद्धावस्था, विकलांग तथा विधवा), (3) दशमोत्तर छात्रवृत्तियां (एस0सी0, एस0टी, अल्पसंख्यक), (4) पी0डी0एस0 राशन कार्ड धारक एवं (5) एल0पी0जी0 उपभोक्ता जो कि सब्सिडाइज्ड कनेक्शन वाले हैं, के पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में आधार कार्ड संख्या की सीडिंग होनी है। उक्त प्रक्रिया के तीन महत्वपूर्ण भाग यथा– (1) लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजिटाइजेशन (2) डिजिटाइज्ड डाटाबेस में आधार कार्ड संख्या का लिंकेज (3) लाभार्थियों के बैंक खातों में आधार कार्ड संख्या सीडिंग, हैं।

उपरोक्त योजनाओं के पात्र लाभार्थियों के डाटाबेस में आधार कार्ड संख्या लिंकेज तथा जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड नहीं बना है, उनके बायोमैट्रिक नामांकन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2015 तक कराये जाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से एक शासनादेश भी निर्गत किया गया है।

केन्द्र सरकार की अपेक्षानुसार विस्तृत समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ के सापेक्ष 8.07 करोड़ (40.40 प्रतिशत) का बायोमैट्रिक इनरोलमेन्ट तथा 7.40 करोड़ (37.05 प्रतिशत) व्यक्तियों का आधार कार्ड जारी हो चुका है एवं डी0बी0टी0 योजना से आच्छादित कुल 9,18,71,136 लाभार्थियों के सापेक्ष मात्र 38,89,969 (4.23 प्रतिशत) लाभार्थियों की आधार कार्ड संख्या का लिंकेज हो पाया है। विभागवार लाभार्थियों की संख्या, डिजिटाइजेशन तथा लाभार्थियों के आधार कार्ड संख्या के लिंकेज की अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	वर्ष 2014–15 में लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या (जिनका डिजिटाइजेशन पूर्ण हो गया है)	लाभार्थियों की संख्या (जिनका आधार कार्ड लिंकेज हो चुका है)	आधार कार्ड संख्या लिंकेज का प्रतिशत
1.	ग्राम्य विकास	मनरेगा	2,20,60,083	2,20,60,083	36,509	0.17
2.	समाज कल्याण	एस0सी0 छात्रवृत्ति	10,95,526	10,95,526	3,382	0.31
		एस0टी0 छात्रवृत्ति	14,789	14,789	17	0.11
		वृद्धावस्था पेन्शन	38,54,824	38,54,824	3,776	0.10
3.	विकलांग कल्याण	विकलांग पेन्शन	8,70,981	8,70,981	320	0.04
4.	महिला कल्याण	विधवा पेन्शन	4,64,240	4,64,240	818	0.18
5.	अल्पसंख्यक कल्याण	अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति	1,45,116	1,45,116	3,269	2.25
6.	खाद्य एवं रसद	पी0डी0एस0 राशनकार्ड धारक	4,50,90,849	3,25,73,141	48,575	0.11
		एल0पी0जी0 उपभोक्ता (सब्सिडी कनेक्शन)	1,82,74,728	1,82,74,728	37,93,303	20.76
कुल योग			9,18,71,136	7,93,53,428	38,89,969	4.23

सम्यक विचारोपरान्त बैठक में योजनावार निम्नवत् निर्णय लिये गयेः–

1. पेंशन योजनाओं (वृद्धावस्था, विकलांग तथा विधवा) के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया किः–
   - सम्बन्धित विभागों द्वारा वर्ष 2015–16 की होने वाली सामान्य सत्यापन प्रक्रिया माह जनवरी, 2015 से मार्च, 2015 तक पूर्ण कर उक्त प्रक्रिया के साथ ही पात्र लाभार्थियों की आधार कार्ड संख्या भी एकत्र कर लिया जाये।
   - विभागीय साफ्टवेयर में आधार कार्ड संख्या अंकित करने हेतु संशोधन कर लिया जाये।
   - जिन पेंशनधारकों के आधार कार्ड बन गये हैं, उनके आधार कार्ड संख्या को एल0डी0एम0 के माध्यम से बैंक खातों में सीड कराया जाये।
   - जिन पेंशनधारकों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर विशेष कैम्प लगाकर बायोमैट्रिक नामांकन के पश्चात् डिजिटाईज्ड डाटाबेस में बायोमैट्रिक नामांकन संख्या (ई0आई0डी0)/आधार कार्ड संख्या अंकित कराया जाये।

   (कार्यवाही : समाज कल्याण विभाग/महिला कल्याण विभाग/विकलांग कल्याण विभाग)

2. दशमोत्तर छात्रवृत्तियां (एस0सी0, एस0टी0 तथा अल्पसंख्यक) के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया किः–
   - अगले शैक्षणिक वर्ष 2015–16 की प्रवेश प्रक्रिया में जब आनलाइन आवेदन आरम्भ हो तब आधार कार्ड संख्या आवश्यक रूप से अंकित कर लिये जाये तथा इस हेतु अपनी–अपनी नियमावली एवं साफ्टवेयर में भी तद्नुसार संशोधन कर लिया जाये।
   - जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर स्कूल/कालेजों/मदरसों आदि में विशेष कैम्प लगाकर बायोमैट्रिक नामांकन के पश्चात् डिजिटाईज्ड डाटाबेस में बायोमैट्रिक नामांकन संख्या (ई0आई0डी0)/आधार कार्ड संख्या अंकित कर लिया जाये।

   (कार्यवाही : समाज कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

3. मनरेगा योजना के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि :–
   - सभी लाभार्थियों की सामान्य सत्यापन प्रक्रिया जनवरी से मार्च, 2015 तक करा ली जाय तथा कार्ड धारकों का विभागीय डाटाबेस में डिजिटाइजेशन/आधार कार्ड संख्या का अंकन किया जाये।
   - जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड बन गये हैं, उनके आधार कार्ड संख्या को एल0डी0एम0 के माध्यम से बैंक खातों में सीड कराया जाये।
   - जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर विशेष कैम्प लगाकर बायोमैट्रिक नामांकन के पश्चात् डिजिटाईज्ड डाटाबेस में बायोमैट्रिक नामांकन संख्या (ई0आई0डी0)/आधार कार्ड संख्या अंकित कर ली जाये तथा आधार कार्ड संख्या की बैंक खातों से सीडिंग करायी जाय।
   - प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत कुल लगभग 2.20 करोड़ लाभार्थी हैं, जिनमें से लगभग 50 लाख लाभार्थी ही सक्रिय (Active) हैं। अतः इन सक्रिय लाभार्थियों के आधार कार्ड संख्या का अंकन उनके बैंक खातों में शीघ्रता से हो जायेगा तथा अवशेष लाभार्थियों के आधार कार्ड संख्या का उनके बैंकखातों में अंकन किये जाने में विलम्ब हो सकता है।

   (कार्यवाही : ग्राम्य विकास विभाग)

4. पी0डी0एस0 राशनकार्ड धारकों के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि :–

- शत प्रतिशत लाभार्थियों का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण कराया जाये।
- पी0डी0एस0 के अन्तर्गत समस्त राशनकार्ड धारकों के मुंखिया का आधार कार्ड संख्या मार्च, 2015 तंक राशन कार्डों में अंकित कराना सुनिश्चित किया जाये।
- जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर विशेष कैम्प लगाकर बायोमैट्रिक नामांकन के पश्चात् डिजिटाईज्ड डाटाबेस में बायोमैट्रिक नामांकन संख्या (ई0आई0डी0)/आधार कार्ड संख्या अंकित कर ली जाये।
- प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में राशनकार्ड धारकों की संख्या काफी अधिक है। अतः कोटेदारों को यह निर्देशित कर दिया जायेगा कि जब राशनकार्ड धारक राशन प्राप्त करने हेतु कोटेदार के पास आयें तभी उनसे आधार कार्ड संख्या प्राप्त कर उनके राशनकार्ड के साथ–साथ अपने रिकार्ड में भी अंकित करने तथा उक्त प्राप्त सूचना के आधार पर डाटाबेस भी डिजिटाईज्ड कर दिया जायेगा।

(कार्यवाही : खाद्य एवं रसद विभाग)

5. उपरोक्त कार्यवाही जिलाधिकारी के नेतृत्व में सम्पन्न करायी जायेगी तथा निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी उचित होगी –

(i) डी0बी0टी0 योजनान्तर्गत आच्छादित पी0डी0एस0 राशनकार्ड धारक, मनरेगा जॉब कार्ड धारक तथा पेन्शन योजनाओं के लाभार्थियों की जनपद स्तर पर ग्रामवार तथा बैंक शाखावार सूची की तीन प्रतियां बनायी जाये, जिसमें निम्न विवरण अंकित किया जाय–
(अ) लाभार्थी का नाम :–
(ब) पिता का नाम :–
(स) बैंक खाता संख्या :–
(द) बैंक का नाम :–
(य) आधार कार्ड संख्या/बायोमैट्रिक नामांकन संख्या (ई0आई0डी0) :–

(ii) इस सूची में जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड संख्या/ई0आई0डी0 अंकित नहीं होगा, ग्राम स्तर अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उन लाभार्थियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर सूची में आधार कार्ड संख्या/ई0आई0डी0 अंकित किया जायेगा।

(iii) इन तीन प्रतियों में से एक प्रति विभागीय डाटाबेस में डिजिटाइजेशन हेतु विभागों के उपयोग में लाई जायेगी, दूसरी प्रति लीड बैंक के माध्यम से लाभार्थियों के खातों को आधार कार्ड संख्या से लिंक करने हेतु सम्बन्धित बैंक को भेजी जायेगी, जिसमें लाभार्थी का खाता है तथा तीसरी प्रति ग्राम स्तर पर रक्षित की जायेगी जिसका उपयोग ऐसे लाभार्थी जिनका आधार कार्ड नही बना है, के आधार कार्ड बनवाने हेतु भविष्य में आयोजित होने वाले विशेष कैम्पों में इन लाभार्थियों को ले जाने के लिये चिन्हींक़रण हेतु किया जायेगा।

(कार्यवाही : समस्त जिलाधिकारी/एल0डी0एम0/सम्बन्धित विभाग)

6. जिन लाभार्थियों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, उनके लिये विशेष कैम्प लगाकर बायोमैट्रिक नामांकन के पश्चात् डिजिटाईज्ड डाटाबेस में बायोमैट्रिक नामांकन संख्या (ई0आई0डी0)/आधार कार्ड संख्या अंकित कर लिया जाय तथा ई0आई0डी0/आधार कार्ड संख्या को एल0डी0एम0 के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भी सीड कराया जाये।

(कार्यवाही : समस्त जिलाधिकारी/एल0डी0एम0/सम्बन्धित विभाग)

7. केन्द्र पोषित उक्त 05 योजनाओं के लाभार्थियों का डिजिटाईज्ड डाटाबेस, बायोमैट्रिक नामांकन तथा बैंक खातों से आधार कार्ड संख्या का लिंकेज तत्परता से किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा जनपद स्तरीय अधिकारियों हेतु कार्यकारी आदेश जारी करते हुये इनका सतत् गहन अनुश्रवण किया जाये तथा इन कार्यकारी आदेशों की प्रति नियोजन विभाग को भी अवश्य उपलब्ध करा दी जाये। यदि इस सम्बन्ध में विभागों द्वारा पूर्व में कोई कार्यकारी आदेश जारी कर दिये गये हों, उनकी प्रतियां भी नियोजन विभाग को उपलब्ध करा दी जायें।

(कार्यवाही : समस्त सम्बन्धित विभाग)

8. सम्बन्धित विभागों द्वारा शासन स्तर एवं निदेशालय स्तर पर एक–एक नोडल अधिकारी को नामित कर 31 जनवरी, 2015 तक उनका विवरण यथा–नाम, पदनाम, कार्यालय दूरभाष, मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल की सूचना नियोजन विभाग को उपलब्ध करा दी जाये तथा योजनाओं की अद्यतन सूचना वांछित प्रपत्र पर प्रत्येक माह में 15 दिन के अन्तराल पर सम्बन्धित विभागों द्वारा नियोजन विभाग को उपलब्ध करा दी जाये।

(कार्यवाही : समस्त सम्बन्धित विभाग)

सभी सहभागियों को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुयी।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव, नियोजन।

संख्याः 485/ज0नि0प्र0/2015– तद्दिनांक दिनांक 29/01/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. राज्य सूचना अधिकारी, उ0प्र0, एन0आई0सी0, लखनऊ।
5. उप महानिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, टीसी–46/वी, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010

(चन्दन सिंह)
निदेशक।